पत्रांक –2ए/ विविध 7-20 /2012 का 1071

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 10/9/2012

विषय :– **झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशनादि भुगतान के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषय पर आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट कराते हुए कहना है कि आपके नियंत्रणाधीन झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवानिवृति के फलस्वरूप पेंशनादि स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः मामला न्यायालय में चला जाता है जिसके कारण अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं संबंधित पदाधिकारी को आर्थिक कठिनाई की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

1. उपरोक्त स्थिति के परिमार्जन हेतु अनुरोध है कि आपके अधीन कार्यरत सभी झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवानिवृति के लगभग 6 माह पूर्व उनके पेंशनादि स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र (तीन प्रति) में अभ्यावेदन आवश्यक अनुशंसा/प्रतिहस्ताक्षर करते हुए निम्नांकित कागजातों के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। यदि पेंशन प्रपत्र ससमय प्राप्त नहीं होंगें तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(i) गृह निर्माण अग्रिम आदेयता प्रमाण पत्र
(ii) मोटरकार अग्रिम आदेयता प्रमाण पत्र
(iii) विवाह एवं विविध अग्रिम आदेयता प्रमाण पत्र
(iv) सरकारी आवास बकाया रहित/प्रमाण पत्र
(v) विभागीय बकाया रहित/सहित प्रमाण पत्र

विश्वासभाजन,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।